न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—6/2022 (2022/6)223आर.टी.एक्ट

1. श्रीमती क़ेसर पत्नी उगमा जाति गुर्जर निवासी देवनगर तहसील पुष्कर जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. भंवर लाल पुत्र गणपत लाल जाति ब्राहमण निवासी ढूंढ़ तहसील फलौदी जिला जोधपुर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर।
3. शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, शाखा पुष्कर, जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर दिनांक 03.01.2022 अंतर्गत वाद संख्या 54/2021.

उपस्थितः—

1. श्री महेन्द्र सिंह चौहान, श्री भरत गुर्जर अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री मौहम्मद इकबाल, श्री फिरोज खॉ, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 2.
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 3 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः— 18.07.2022.

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर के निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 03.01.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर के समक्ष प्रतिवादीगण/अपीलांट एवं शेष रेस्पोडेन्टस के विरूद्ध वास्ते बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रसतुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात के खाता संख्या 16 में वादी व प्रतिवादीया संख्या 01 प्रत्येक का 1/2—1/2 हिस्सा निहित है तथा प्रत्येक खातेदार अपने—अपने हिस्से की आराजी पर बहैसियत खातेदार काबिज है तथा उक्त सभी वादी व प्रतिवादीया संख्या 01 का अपने हिस्से की आराजी पर कब्जा व दखल चला आ रहा है तथा वादग्रस्त आराजीयात का आज दिनांक तक मौके पर विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है एवं वादी तथा प्रतिवादीया उपरोक्त आराजीयात के सह खातेदार है जिनके मध्य राजस्व रिकार्ड में बंटवारा किया जाना उचित है। जिस पर वादी के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन/नोटिस तलब किया गया। दिनांक 08.12.2021 को प्रतिवादी संख्या 03 की ओर से वकील श्री अरूण वैष्णव द्वारा वकालतनामा पेश किया गया तथा दिनांक 22.12.2021 को जवाब

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

दावा पेश किया गया। जिसके बाद तरमीक कर शामिल किया गया। दिनांक 29.12.2021 को प्रतिवादीया संख्या 01 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा तहसीलदार, की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिरिक्त रूप से दिनांक 03.01.2022 को विवादित आराजीयात बावत् वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का वाद प्राथमिक डिक्री फरमा दिया गया। जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अपीलांट को कोई नोटिस सम्यक रूप से तामिल नही करवाये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को किसी प्रकार का कोई साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त प्राथमिक डिक्री दिनांक 31.01.2022 पारित कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 02 व 03 का जवाब प्रस्तुत हुआ था तथा उक्त जवाब पत्रावली पर उपलब्ध होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार तनकीयात कायम नहीं की गई तथा ना ही उक्त पत्रावली पर विधिवत रूप से किसी प्रकार की वादी एवं प्रतिवादीगण की साक्ष्य ली गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सारी कानून को नजरअंदाज करते हुए वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को अवांछित लाभ देने की गरज से उक्त राजस्व वाद डिक्री किया है। विवादित आराजीयात पर वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का किसी प्रकार से कोई कब्जा काश्त नही है एवं वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ग्राम ढूंढ तहसील फलौदी जिला जोधपुर में निवास करता है तथा वादी का नाम विवादित आराजी बावत् नुमाईशी तौर पर कागजों में ही दर्ज है, इस प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सारी तथ्यों को नजरअंदाज कर तथा अपीलांट को बिना साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किये उक्त निर्णय पारित करने में कानूनी त्रुटि कारित की है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 03.01.2022 को निरस्त फरमाये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने दौराने जवाब बहस निवेदन किया अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस जारी किये गये तथा प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का नोटिस अदम तामील होने के पश्चात जरिये रजिस्टर्ड एडी नोटिस जारी किये गये। मूल रजिस्टर्ड एडी लेने से इंकार के साथ प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29.12.2021 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रतिवादी संख्या 01/ अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई एक पक्षीय कार्यवाही के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नाराजगी करनी चाहिए थी जो उनके द्वारा नहीं की गई और सीधे तौर पर माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की है जो विधि सम्मत नही है तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जवाब दावा प्राप्त होने के पश्चात एवं प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के कारण प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री विधि सम्मत हैं। जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नही है। अपीलांट

विवादित आराजी को बिना बंटवारे कराये बेचान करने पर आमादा है और समझाईश करने पर नही मानने तथा मौके पर बंटवारे को लेकर प्रतिवादी संख्या 01 लड़ाई झगड़ा करने व मरने मारने पर उतारू हो जाने के कारण वाद प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट जानबूझ कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हुई, प्रकरण को येन–केन लंम्बित रखना चाहती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जवाब दावा प्राप्त होने पर, पर्चा मौका रिपोर्ट तलब करने के पश्चात विधि सम्मत निर्णय पारित करने में किसी प्रकार की त्रुटि कारित नही की है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर के निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 03.01.2022 में अंकित किया गया है पैरोंकार सरकार/तहसीलदार एवं प्रतिवादी संख्या 03 (शाखा प्रवन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, शाखा, पुष्कर) द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है। मान्नीय मण्डल ने अपने परिपत्र एवं अनेको निर्णय में प्रतिपादित किया है कि जहॉ जवाब दावा प्रस्तुत किया गया वहॉ तनकीयात कायम की जायेगी, परन्तु उनके द्वारा यह अंकित कर दिया गया है मूल प्रतिवादी संख्या 01 अनुपस्थित रहने के पश्चात एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के कारण तनकीयात कायम नही की गई तथा वादी के अनुतोष पर विचारण किया गया, जो विधि सम्मत नही है। प्रकरण में वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की भी साक्ष्य नहीं ली गई है। अपीलांट का विवादित भूमि में 1/2 हिस्सा दर्ज है तथा वह सह खातेदार है। कानूनन सह खातेदारी की आराजी में प्रत्येक सह खातेदार का प्रत्येक इंच ऑफ भूमि पर बराबर का अधिकार होता है, इसलिए सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 03.01.2022 उपरोक्त कारणों से निरस्त योग्य पायी जाती है।

7. अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा प्रकरण संख्या 54/2021 में पारित आदेश दिनांक 03.01.2022 निरस्त किया जाता है तथा विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की सम्यक तामील की कार्यवाही कि जाकर सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जावें एवं प्रतिवादीया संख्या 01 श्रीमती केसर से जवाब दावा प्राप्त कर प्रकरण में तनकीयात कायम कर सभी पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए तनकीयात का विस्तृत विवेचन करते हुए, पुनः निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

1. निर्णय आज दिनांक 18.07.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर